

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
बिहार,पटना।

विषय :-

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से उद्भूत विभागीय कार्यवाही से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

पटना-15, दिनांक मार्च, 2018

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की सेवांत लाभ/प्रोन्नति/विभागीय कार्यवाही एवं सभी निगरानी वादों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को सभी विभागों के साथ अपराहन 03.00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में निर्धारित है । माह मार्च, 2018 की उक्त बैठक दिनांक 15.03.2018 को अपराहन 03.00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी । ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त बैठक से संबंधित विभागों के प्रतिवेदन बैठक के ही दिन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप समेकित प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हो पाता है।

अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु अपने विभाग का निम्नलिखित मात्र समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ही दिनांक:- 09.03.2018 तक निश्चित रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, साथ ही उक्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाये।

1. सेवांत लाभ से संबंधित समेकित प्रतिवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) एवं तीन माह से अधिक अवधि से लंबित मामलों की विवरणी निम्न प्रपत्र में ।

क्र.	लंबित पेंशन की कुल संख्या	लंबित उपादान की कुल संख्या	लंबित गृप बीमा की कुल संख्या	लंबित उपार्जित अवकाश की कुल संख्या	लंबित भविष्य निधि की कुल संख्या
विभाग का नाम					

- विभागीय कार्यवाही से संबंधित समेकित प्रतिवेदन
 - प्रोन्नति से संबंधित समेकित प्रतिवेदन
 - निगरानी वादों में अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित समेकित प्रतिवेदन।
- कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

01

मार्च, 2018

ज्ञापक-13/विविध-04/2016सा...../पटना-15, दिनांक 42

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव।

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।

महानिदेशक, निगरानी, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक मार्च, 2018

विषय :- सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रेप केसेज (धूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :- मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग की गै.स.प्रे. सं.-1481/गो.मु.स. दिनांक 15.12.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वैधिक शक्ति प्रदत्त समिति की प्रत्येक माह की तृतीय बृहस्पतिवार को अपराह्न 03.00 बजे से निर्धारित समीक्षात्मक बैठक के तुरंत बाद सेवांत लाभ (पेंशन) एवं ट्रेप केसेज पर भी अलग से एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित होगी जिसमें पुलिस महानिदेशक एवं निगरानी विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल रहेंगे । इस माह की उक्त समीक्षात्मक बैठक दिनांक 15.03.2018 को निर्धारित है ।

अतः अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित समेकित प्रतिवेदन के साथ, पूर्व प्रेषित विहित प्रपत्रों में ही, उक्त निर्धारित समीक्षात्मक बैठक में स्वयं अथवा प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी सम्मिलित होने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,


ह0/-

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-13/विविध-04/2016सा...../पटना-15, दिनांक 01 मार्च, 2018

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के अवर सचिव ।